# कार्यकारी सारांश

## कार्यकारी सारांश

### पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष बजट एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निर्धारित लक्ष्यों तथा प्रभावी प्रवृत्तियों एवं सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा के आकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष पर उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध कराता है।

**अध्याय 1** वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2014 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋणपद्धति इत्यादि की प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

**अध्याय 2** विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिस प्रकार सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को प्रबन्धित किया गया, प्रदान करता है।

**अध्याय 3** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण का विवरण प्रदान करता है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**अध्याय-1**

**राज्य सरकार के वित्त**

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य, राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) पर लाने में समर्थ था। फलस्वरूप राजस्व घाटा वर्ष 2011-12 (₹ 716 करोड़), वर्ष 2012-13 (₹ 1,787 करोड़) तथा 2013-14 (₹ 1,105 करोड़) के दौरान आधिक्य में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2007-08 से राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा एफ आर बी एम एक्ट में निर्धारित चार *प्रतिशत* (पुनरीक्षित) लक्ष्य से नीचे बना रहा। यह वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के दौरान (स रा घ उ का 3.5 *प्रतिशत*) तथा वर्ष 2013-14 के दौरान (स रा घ उ का 3.0 *प्रतिशत*) की उचित सीमा के अंदर था। चालू वर्ष 2013-14 का राजकोषीय घाटा ₹ 2,650 करोड़ (स रा घ उ का 2.16 *प्रतिशत*) भी तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) के 3.0 *प्रतिशत* के निर्धारित मानक के काफी नीचे रहा।

राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता की है जो इस बात का समर्थन करता है कि वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा स रा घ उ का तीन *प्रतिशत* होना चाहिए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, राज्य सरकार को उधार कम लेना पड़ेगा और इससे निकट भविष्य में कम निधियाँ उपलब्ध होंगी। तथापि, चालू राजकोष के दौरान सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की तुलना में पाँच *प्रतिशत* अधिक निधियों के पूँजीकरण की व्यवस्था की।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल गत पाँच वर्षों में लगभग नगण्य (किए गए निवेश पर 0.01 *प्रतिशत*) था जबकि सरकार ने इस निवेश के लिए उधार ली गई निधियों पर 7.78 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

सरकार को निवेशों में धन की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कम्पनियों/निगमों की पहचान करनी चाहिए, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफल देते हों और अपने उच्च लागत उधारियों के प्रतिस्थापन को सिद्ध करें।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 में उत्तराखण्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य (38.50 *प्रतिशत*) के सापेक्ष ऋण- स रा घ उ[1] अनुपात ने 2009-10 से 2013-14 तक 26.51 *प्रतिशत* से 23.50 *प्रतिशत* की निम्नोनमुखी प्रवृति दर्शायी।

यहाँ उपभोगित राशियों की निगरानी हेतु न तो कोई एकल अभिकरण है और न ही कोई तैयार आँकड़े उपलब्ध है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में किसी वित्तीय वर्ष विशेष में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली मुख्य चिन्हित योजनाओं व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जो भारत सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषित है, के अन्तर्गत वास्तव में कितना व्यय हुआ है।

**अध्याय-2**

**वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण**

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल अनुदान व विनियोजन ₹ 30,145.69 करोड़ के सापेक्ष कुल बचत ₹ 6,580.95 करोड़ रही। तीन अनुदानों में ₹ 1,837.15 करोड़ का आधिक्य था जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किया जाना जरूरी था। अधिक बचत बजट अनुमानों की कमी को दर्शाता है। बीस मामलों में प्रावधानित किये गये अनुपूरक अनुदान ₹ 1,745.60 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुए। विभागों ने वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस पर ₹ 1,832.68 करोड़ समर्पित किये जिसके किसी अन्य विकास कार्यो में उपभोग की गुंजाइश नहीं थी।

माह मार्च 2014 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आहरित धनराशि ₹ 797.62 करोड़ को बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने के लिये जमाशीर्ष में जमा कर दिया गया।

समेकित निधि के अर्न्तगत 17 मामलों में ₹ 194.48 करोड़ की पर्याप्त धनराशि अनुमोदित की गयी और समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति नही हुयी थी।

वर्ष 2005-13 से सम्बन्धित ₹ 9,229.25 करोड़ के आधिक्य व्यय को अभी तक राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित किया जाना शेष था।

---

[1] प्रचलित/बाजार दरों पर। हालांकि, पिछले प्रतिवेदनों में ऋण-जी एस डी पी अनुपात जी एस डी पी के नियत मूल्यों पर आकलित किया जाता था।

**अध्याय-3**

**वित्तीय प्रतिवेदन**

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2014 तक विशिष्ट *उद्देश्यों* के लिये दिये गये अनुदान (₹ 399.75 करोड़) से सम्बन्धित 427 उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले. एवं हक.), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किये थे। उक्त प्रमाण पत्रो के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि प्राप्तकर्ता ने अनुदानों का उपभोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिये कर लिया है। विभागीय प्रमुखों द्वारा उन निकायों और प्राधिकरणों, जिन्हे पूर्व वर्ष में कुल ₹ 10 लाख या इससे अधिक के ऋण अथवा अनुदान दिये गये है, के विवरण महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नही किये जा रहा थे। इस प्रकार संस्थान, जिनकी लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जा सकती है, को चिन्हित नही किया जा पा रहा था।

केन्द्र व राज्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्ति व व्यय की पर्याप्त धनराशि की लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' और '800-अन्य प्राप्तियाँ' में दर्शाया गया था, जो कि राज्य वित्त लेखे 2013-14 में पृथक रूप से वर्णित नही किये गये थे, जिस कारण वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता प्रभावित हो रही थी।